संख्या–1679 /पांच–8–2022

प्रेषक,

डा0 मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव/अपर राज्य मिशन निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022

विषयः–मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए0बी0डी0एम0) का नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के कर–कमलों से माह सितम्बर, 2021 में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए0बी0डी0एम0) का शुभारम्भ किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश में कियान्वयन किया जाना है।

2. इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–12019/128/2021–एनडीएचएम, दिनांक 31.05.2021 एवं संख्या–एस–12019/122/2021–एनडीएचएम, दिनांक 13.07.2022 (प्रतियां संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में निजी क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक चिकित्सक (हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करा लिये हैं) तथा नर्सिंग होम/क्लीनिक/प्रयोगशालायें (जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में करा लिया है) का प्रत्यावेदन/रजिस्ट्रेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने की अपेक्षा की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के संदर्भ में आपको अपने जनपद का 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए0बी0डी0एम0) का नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्य हेतु लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड आपको पृथक् से उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 मन्नान अख्तर)
विशेष सचिव/
अपर राज्य मिशन निदेशक

संख्या– 1679 (1)/पांच–8–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्दन कुमार रावत)
अनु सचिव

संख्या– 1679 /पांच–8–2022

प्रेषक,

डा0 मन्नान अख्तर,
विशेष सचिव/अपर राज्य मिशन निदेशक,
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022

विषयः–मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए0बी0डी0एम0) का नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के कर–कमलों से माह सितम्बर, 2021 में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए0बी0डी0एम0) का शुभारम्भ किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन किया जाना है।

2. इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–12019/128/2021–एनडीएचएम, दिनांक 31.05.2021 एवं संख्या–एस–12019/122/2021–एनडीएचएम, दिनांक 13.07.2022 (प्रतियां संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में निजी क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक चिकित्सक (हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करा लिये हैं) तथा नर्सिंग होम/क्लीनिक/प्रयोगशालायें (जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में करा लिया है) का प्रत्यावेदन/रजिस्ट्रेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने की अपेक्षा की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के संदर्भ में आपको अपने जनपद का 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ए0बी0डी0एम0) का नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्य हेतु लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड आपको पृथक् से उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 मन्नान अख्तर)
विशेष सचिव/
अपर राज्य मिशन निदेशक

संख्या– 1679 (1)/पांच–8–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्दन कुमार रावत)

अनु सचिव

Rajesh Bhushan
Secretary
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare

Government Of India

Dr. R.S. Sharma
Chief Executive Officer
National Health Authority
Ministry of Health & Family Welfare

D.O. No. S-12019/128/2021-NDHM
31st May, 2021

<u>Subject</u> : <u>Preparation for National Roll-Out of NDHM</u>

Dear Chief Secretary,

As we continue to mitigate the effects of COVID-19 pandemic, with our Health Departments leading the efforts, we are realising the importance of digital technologies in making healthcare interventions affordable and accessible. You may be aware that Hon'ble Prime Minister had announced the National Digital Health Mission (NDHM) during his Independence Day speech on 15th Aug 2020. The pilot was implemented in the six Union Territories and the Mission shall now soon be launched in all the States and Union Territories. The National Health Authority (NHA) will lead the implementation of this mission from the central level.

In order to prepare for rolling-out NDHM, States/UTs shall be required to take certain steps. To start with, you would be required to form a State office of National Digital Health Mission, which can either be a new office or be made a part of any existing office such as the State Health Authority. An officer of suitable seniority, preferably in the rank of Commissioner, may be identified for leading this mission. Certain other preparatory activities are also required to be done, which have been listed in Annexure-I. We request that these activities may be started by the state government immediately. More details about the Mission can be read at the links given in Annexure-II.

In the near future, we both will conduct a video conference to further brief all ACS/ACS/Principal Secretaries/Secretaries of Health and IT, Health Commissioners, and officers who are likely to helm the mission implementation in States/UTs. Date of the VC shall be communicated soon. We request you to direct these officials to attend the same. Dr Praveen Gedam, IAS, Mission Director, National Digital Health Mission and Additional CEO, NHA (addlceo@nha.gov.in, 9766620000) may be approached for any further details.

We look forward to your continued support to make the Mission successful.

Yours sincerely

(Rajesh Bhushan) (Dr. R.S. Sharma)

Encl : as above

Chief Secretary / Administrator, All States & UTs

Copy to : Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary (Health)
Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary (IT)
All States & UTs

संख्या....4290.../एसीएसएसएमएफ्व०/2022

File No. S-12019/122/2021-NDHM
Government of India
National Health Authority

9th Floor, Tower-1,
Jeevan Bharti Building,
Connaught Place, New Delhi-110001
Dated 13th July 2022

Office Memorandum

Subject: - Adoption of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) Compliant Hospital Management Information System (HMIS) in States

National Health Authority (NHA) is implementing the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) through Central Ministries, State and UT Governments. ABDM aims to achieve seamless exchange of digital health information including digital health records through ABDM ecosystem. For successful adoption of the scheme, it is necessary that an ABDM compliant Hospital Management Information System (HMIS) is deployed and used in the health facilities.

2. In this regard, it is expected that hospital empaneled under PMJAY shall take a lead in this initiative and switch to use of ABDM compliant HMIS in a staggered manner so that the following medical records of the PMJAY patients are mandatorily generated through such ABDM compliant HMIS: Discharge summaries/cards, Immunization records, Lab reports, Imaging reports, Dispensation from pharmacies (For those records which are generated by lab, imaging centre and pharmacies which are inhouse in the EHCP). The empaneled hospitals may also generate other records of PM-JAY patients such as Radiological images, Out-patient consultation and In-patient records from the said ABDM compliant HMIS. All such records should be linked to ABHA of the patient upon their consent. If patient does not wish to link, then the reason thereof be specifically recorded.

3. It is therefore, required that EHCPs (empaneled hospitals) of PMJAY and which are:

a. NABH full accredited, Gold certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Jan 2023.
b. NABH entry level accredited, Silver certified to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Apr 2023.
c. Bronze certified or those with 75 beds or more (excluding those at number 1 and 2 above) to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Jun 2023.
d. Other PMJAY empaneled hospitals to switch to ABDM Compliant HMIS not later than 1st Sep 2023.

4. Further, it may kindly be noted that if NABH/QCI makes similar conditions mandatory for NABH accreditation, then the stricter of the two rules (i.e., between those formulated by NABH and NHA) should apply.

5. State Mission Directors of ABDM are requested to provide necessary guidance to State Health Agencies and EHCPs.

6. This issue with the approval of the Competent Authority in the NHA

(Sraddha Paul)
Deputy Director (Admin)

1. Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries of Health of all States/UTs
2. CEOs, State Health Agencies (SHAs) of all States/UTs
3. State/UTs Mission Directors of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) of all States/UTs

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन

सचिव
चिकि० स्वा० एवं प० क०
उत्तर प्रदेश शासन

विशेष सचिव
चिकि० स्वा० एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन